भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन नई दिल्ली

दिनांक 29/06 2018

मि.स. 21-41/2018 - समन्वय

सेवा में,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों /राष्ट्रिय अनुसंधान केन्द्रों के समस्त निदेशक /परियोजना निदेशक

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ सलंग्न पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु देखे

धन्यवाद

भवदीय

moinant 291418

(अजय वर्मा) अवर सचिव (समन्वय)



INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. GAC-21-41/2018-CDN

Dated the 29 June, 2018

ENDORSEMENT

Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, New Delhi has issued an O. M No.31011/3/2016-Estt.A-IV dated 16.05.2018 regarding clarification on admissibility of air fare for Children below the age of 5 years of the Government servants non-entitled to travel by air on LTC. The above mentioned notification has been uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information.

291418

(Ajai Verma) Under Secretary (GAC)

Distribution :-

- 1. Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/National Research Centers.
- 2. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB I & II/NASC
- 3. PD-DKMA for placing on the ICAR website.
- 4. PSO to DG, ICAR/ PPS to Secretary, ICAR/ PPS to FA, DARE/ICAR.
- 5. Secy. (Staff Side), CJSC, IIS&WC, Dehradun
- 6. Secy. (Staff Side), HJSC, ICAR, KAB-II, Pusa, New Delhi-110012.
- 7. Guard file/Spare copies

Director (Fin.)

Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training

No. 31011/3/2016-Estt.A-IV

229160 2115/2010

Establishment A-IV Desk Diary No4 15+1+K 100F-11

North Block New Delhi. Dated May 16, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Admissibility of air fare for children below the age of 5 years of the Subject: Government servants non-entitled to travel by air on LTC – clarification reg.

The undersigned is directed to invite reference to Department of Personnel & Training's O.M. No. 31011/2/2006-Estt.A dated 24.4.2006, 21.05.2007 and 03.12.2007 which stipulates that a non-entitled Goverment servant is allowed to travel by air while availing LTC provided that the reimbursement made in such cases is restricted to the train fare of entitled class. In this regard, it may be noted that while no fare is charged by Railways for a child below the age of 5 years travelling by train, airlines charge full air fare for child of 2 years of age and above.

This Department is in receipt of references from various Ministries/Departments 2. seeking clarification on reimbursement of LTC claim in a situation where a child of a nonentitled Government servant, aged less than 5 years, travels by air on LTC and entitled train fare is claimed by that Government employee in respect of his/her child.

The matter has been examined and it is clarified that since children below the age of 5 3. years are not charged for rail journeys, no reimbursement shall be made in respect of the air journey performed by children, aged less than 5 years, of the Government servants who are not entitled to travel by air on LTC. It may be noted that this provision shall not be applicable for the segments where the air journey has been allowed to the non-entitled Government servants and their families under the special dispensation scheme, existent from time to time.

(Surya Narayan Jha) Government

Secure (n) - On low town (Surya Narayan Jha) 55 (D) (Surya Narayan Jha) 55 (D) (F) Under Secretary to the Government of India

(Alt

То

The Secretaries All Ministries/Departments of Government of India (As per the standard list)

Copy to:-

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

5:6.18

2. Union Public Service Commission, New Delhi.

Contd...

सं. 31011/3/2016-स्था.क-।∨ भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग स्था. क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक : **16** मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हवाई यात्रा किराया की स्वीकार्यता के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.04.2006, 21.05.2007 और 03.12.2007 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 31011/2/2006-स्था.(क) के संबंध में ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जो यह निर्धारित करता है कि छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ लेते समय गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं बशर्त कि ऐसे मामलों में की गई प्रतिपूर्ति कर्मचारी की हकदारी की श्रेणी के रेल किराए तक सीमित होगी। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि रेल द्वारा यात्रा करने पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेलवे द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाता है जबकि एअर लाइन्स सेवाओं द्वारा दो वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया लिया जाता है।

2. इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें ऐसी स्थिति में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) दावे की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जहां एक गैर-हकदार सरकारी सेवक का पांच वर्ष से कम उम का बच्चा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज से यात्रा करता है और सरकारी सेवक द्वारा अपने बच्चे के संबंध में उसकी हकदारी के रेल यात्रा किराए का दावा किया जाता है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि क्योंकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेल यात्रा का कोई किराया नहीं लिया जाता है, अत: छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा की गई हवाई यात्रा के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यह भी नोट किया जाए कि यह-प्रावधान उन यात्रा खंडों पर लागू नहीं होंगे जहां समय-समय पर विद्यमान विशेष छूट स्कीमों के अंतर्गत गैर-हकदार सरकारी सेवकों और उनके परिवारों को हवाई यात्रा की अन्मति प्रदान की गई है।

सूर्य ता (12015)। (सूर्य नारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में सचिव भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अन्सार)

प्रति :-

- 1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
- 2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- 3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
- 4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
- 5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
- 6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
- 7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
- 8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।